

संशोधित पत्र

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक: F26(4)()आ.बा.चलों अभि./IEC/ICDS/2017/ 195057-195089 जयपुर दिनांक : ३ ११/१८

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त (राजस्थान)

विषय:- आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अभिभावक बैठक (PAM) संशोधित कर दिनांक 05.11.2018 के स्थान दिनांक 12.11.2018 को आयोजित किये जाने संबंध में।
प्रसंग:-विभागीय आदेश क्रमांक 1934 37- 69 दिनांक 01.11.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अभिभावक बैठक (PAM) प्रत्येक माह की अमावस्या को आयोजित की जाती है। इस बार अमावस्या 7 नवम्बर को है, 7 नवम्बर को दिपावली होने के कारण आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अवकाश है।

सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-अभिभावक बैठक (PAM) का आयोजन दिनांक 05.11.2018 के स्थान पर 12.11.2018 को कराया जाना है। आपके अधीनस्थ सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला पर्यवेक्षकों को निर्देशित करावें कि 12 नवम्बर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-अभिभावक बैठक (PAM) के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम या कहा-कहां की विजिट की जायेगी से निदेशालय को दिनांक 5.11.2018 तक आवश्यक रूप से निर्धारित प्रारूप में अवगत करावें :-

क्र. सं.	निरीक्षण कर्ता का नाम	पद	परियोजना का नाम	सेक्टर का नाम	निरीक्षण किये जाने वाले आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले के संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों को इस हेतु पाबन्द करें कि उक्त PAM की फोटों राजधारा पर अपलोड करते हुए निर्धारित लिंक पर सूचना अपडेट करावें।

10/11
अतिरिक्त निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: F26(4)()आ.बा.चलों अभि./IEC/ICDS/2017/ 195090-93 जयपुर दिनांक : ३ ११/१८
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मबावि, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, आईसीडीएस, जयपुर।
3. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ
4. एसीपी (उप निदेशक) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

सहायक निदेशक (आईसी)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर